R 2605/I/14 (21)

प्र.क्रं. /13-14 निगरानी

सौदान सिंह आयु 61 बर्ष पुत्र दर्शनसिंह, रघुबंशी, निवासी ग्राम हतौड़ा, पोस्ट एवं तहसील गंजबासौदा जिला बिदिशा म.प्र.

..............आवेदक

श्री आर. बी. शर्मा, अभि० द्वारा आज दि. 19-8-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-8-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. तुलसीराम दत्तकपुत्र रामगोपाल, पुत्र कमरसिंह, जाति-रघुबंशी, निवासी ग्राम हतौड़ा, पोस्ट एवं तहसील गंजबासौदा जिला बिदिशा म.प्र.
2. राजेंन्द्रसिंह पुत्र निर्भयसिंह, जाति-रघुबंशी, निवासी ग्राम हतौड़ा, पोस्ट एवं तहसील गंजबासौदा जिला बिदिशा म.प्र.

.........अनावेदकगण

(16)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2605–एक / 14 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.9.14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने अनावेदक के साक्षी के विकलांग होने के कारण उसकी साक्ष्य हेतु कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया हैं तथा आवेदक की ओर से बटांक पर प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय किए जाने के आदेश दिए हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । आदेश औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	